

भारत सरकार  
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय  
लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 153\*  
05 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

'स्वनिधि से समृद्धि' पहल

\*153. श्री विनोद लखमशी चावड़ा:

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का गुजरात के कच्छ लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में 'स्वनिधि से समृद्धि' योजना लागू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (ख) क्या कच्छ लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के भुज, अब्दासा, गांधीधाम, रापर, मांडवी और अंजार जिलों में इस योजना के अंतर्गत आठ परियोजनाओं के तहत लाभार्थियों की पात्रता का आकलन करने के लिए उनके संबंध में सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइलिंग पूरी हो गई है;
- (ग) यदि हां, तो उन्हें योजनाओं के तहत लाभार्थियों को प्रदत्त लाभ सहित तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और
- (घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर  
आवासन और शहरी कार्य मंत्री  
(श्री मनोहर लाल)

(क) और (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

## विवरण

'स्वनिधि से समृद्धि' पहल के संबंध में दिनांक 05.12.2024 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा तारांकित प्रश्न \*153 (13वां स्थान) के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): जी हां, प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना का एक घटक स्वनिधि से समृद्धि (एसएसएस) कार्यक्रम गुजरात के कच्छ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित देश के शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में कार्यान्वयित किया जा रहा है।

(ख) : कच्छ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के भुज, गांधीधाम, रापर, मांडवी और अंजार यूएलबी/जिलों में लाभार्थियों की सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइलिंग का विवरण अनुलग्नक-I में है। जहां तक अव्दासा का संबंध है, यह एक शहरी स्थानीय निकाय नहीं है।

(ग) : एसएसएस के तहत लाभार्थियों और उनके परिवार के सदस्यों को प्रदान किए गए लाभों का विवरण अनुलग्नक-II में है। आठ केंद्रीय योजनाओं के तहत लाभार्थियों को प्रदान किए गए लाभ अनुलग्नक-III में हैं।

(घ): प्रश्न ही नहीं उठता।

\*\*\*\*\*

दिनांक 05.12.2024 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा तारांकित प्रश्न \*153 (13वां स्थान) के भाग (ख) के उत्तर में  
उल्लिखित अनुलग्नक-।

कच्छ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के भुज, गांधीधाम, रापर, मांडवी और अंजार शहरी स्थानीय निकायों/जिलों में  
लाभार्थियों की सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइलिंग स्थिति दर्शाने वाला विवरण

(26.11.2024 तक)

| शहरी स्थानीय निकाय/जिले | कुल लाभार्थी | प्रोफाइल किए गए लाभार्थी |
|-------------------------|--------------|--------------------------|
| भुज नगर पालिका          | 2094         | 982                      |
| गांधीधाम नगर पालिका     | 2042         | 1152                     |
| रापर नगर पालिका         | 516          | 325                      |
| मांडवी नगर पालिका       | 1072         | 781                      |
| अंजार नगर पालिका        | 1480         | 854                      |

डेटा स्रोत: पीएम स्वनिधि पोर्टल

दिनांक 05.12.2024 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा तारांकित प्रश्न \*153 (13वां स्थान) के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-||।

कच्छ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के भुज, अद्वासा, गांधीधाम, रापर, मांडवी और अंजार ज़िलों में लाभार्थियों की सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइलिंग स्थिति दर्शाने वाला विवरण।

(26.11.2024 तक)

| योजनाएं                             | भुज नगर पालिका | गांधीधाम नगर पालिका | रापर नगर पालिका | मांडवी नगर पालिका | अंजार नगर पालिका |
|-------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना     | 129            | 373                 | 69              | 230               | 309              |
| प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना | 93             | 286                 | 48              | 139               | 234              |
| प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना  | 1              | 0                   | 0               | 1                 | 0                |
| प्रधानमंत्री जन धन योजना            | 15             | 24                  | 2               | 51                | 65               |
| एक राष्ट्र एक राशन कार्ड            | 0              | १३                  | 0               | 1                 | 11               |
| जननी सुरक्षा योजना                  | 0              | 4                   | 1               | 1                 | 0                |
| बीओसीडब्ल्यू के अंतर्गत पंजीकरण     | 0              | 0                   | 0               | 0                 | 0                |
| प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना       | 0              | 0                   | 0               | 0                 | 0                |
| कुल                                 | 238            | 700                 | 120             | 423               | 619              |

डेटा स्रोत: पीएम स्वनिधि पोर्टल

दिनांक 05.12.2024 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा तारांकित प्रश्न \*153 (13वां स्थान) के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-111।

आठ केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रदान किए गए लाभों को दर्शाने वाला विवरण

| योजनाओं                             | योजनाओं के अंतर्गत लाभ   |
|-------------------------------------|--|
| प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना     | <ul style="list-style-type: none"> <li>दुर्घटनावश मृत्यु और पूर्ण दिव्यांगता के लिए 2 लाख रुपये</li> <li>आंशिक दिव्यांगता के लिए 1 लाख रुपये</li> </ul>  |
| प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना | <ul style="list-style-type: none"> <li>किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये का जीवन कवर</li> </ul>   |
| प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना  | <ul style="list-style-type: none"> <li>60 वर्ष की आयु होने पर ग्राहक को न्यूनतम 3000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलेगी और यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी का जीवनसाथी पारिवारिक पेंशन के रूप में पेंशन का 50% प्राप्त करने का हकदार होगा।</li> </ul>  |
| प्रधानमंत्री जन धन योजना            | <ul style="list-style-type: none"> <li>एक बुनियादी बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खाता</li> <li>28.08.2018 के बाद खोले गए खातों के लिए 2,00,000/- के दुर्घटना कवरेज के साथ रुपे डेबिट कार्ड</li> <li>कोई न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की आवश्यकता नहीं</li> <li>जमा राशि पर ब्याज अर्जित किया जाता है</li> <li>पात्र खाताधारकों को 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट (ओडी) सुविधा उपलब्ध है।</li> </ul>       |
| एक राष्ट्र एक राशन कार्ड            | <ul style="list-style-type: none"> <li>लाभार्थी देश भर में किसी भी उचित दर की दुकान से सब्सिडी वाला खाद्यान्न खरीद सकेंगे।</li> </ul>  |
| जननी सुरक्षा योजना                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>संस्थागत प्रसव का विकल्प चुनने वाली पात्र गर्भवती महिलाओं को 600 रुपये से लेकर 1400 रुपये तक की नकद प्रोत्साहन राशि दी जाती है (राज्य के आधार पर)</li> <li>बीपीएल गर्भवती महिलाएं, जो घर पर ही प्रसव कराना पसंद करती हैं, उन्हें प्रति प्रसव 500 रुपये की नकद सहायता दी जाती है।</li> </ul>   |
| बीओसीडब्ल्यू के अंतर्गत पंजीकरण     | <ul style="list-style-type: none"> <li>किसी दुर्घटना या दुर्घटना की स्थिति में श्रमिकों को तुरंत सहायता,</li> <li>पेंशन प्रदान करना</li> <li>घर निर्माण के लिए ऋण देना</li> <li>समूह बीमा योजना के लिए प्रीमियम से संबंधित भुगतान करना</li> <li>बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना</li> <li>गंभीर बीमारी की स्थिति में चिकित्सा व्यय वहन करके श्रमिकों की सहायता करना</li> </ul> |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना | <ul style="list-style-type: none"> <li>• आंगनवाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी) / अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा में गर्भावस्था के प्रारंभिक पंजीकरण पर 1000 रुपये की पहली किस्त, जिसे संबंधित प्रशासकीय राज्य / केंद्र शासित प्रदेश द्वारा चिन्हित किया जा सकता है।</li> <li>• गर्भावस्था के छह महीने बाद कम से कम एक प्रसवपूर्व जांच (एएनसी) कराने पर 2000 रुपये की दूसरी किस्त दी जाएगी।</li> <li>• प्रसव के पंजीकरण के बाद और बच्चे को बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी और हेपेटाइटिस-बी या इसके समकक्ष/विकल्प का पहला चक्र प्राप्त होने पर 2000 रुपये की तीसरी किस्त।</li> </ul> |
|-------------------------------|--|

डेटा स्रोत: पीएम स्वनिधि पोर्टल